



राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,

चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / 606

दिनांक:- २७/११/१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक, अलवर, बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, ढूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं अजमेर।

विषय:- कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम में ओडीएफ सीएचसी हेतु आंवटित बजट के आशानुरूप व्यय नहीं किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. क्रमांक:-F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / 506 दिनांक 25.06.2018

2. क्रमांक:-F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / 515 दिनांक 10.07.2018

उपरोक्त विषयन्तर्गत संदर्भानुसार लेख है कि स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र हेतु 100 ओडीएफ ब्लॉक की 100 सीएचसी को प्रति सीएचसी 10 लाख का बजट आंवटित किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्च स्तरीय स्वच्छता रखते हुए कायाकल्प के मानकों तक पहुंचाना है।

उक्त बजट संदर्भित पत्र के साथ भिजवाई गई गाईडलाईन के अनुसार खर्च किया जाना था परन्तु अभी तक इस बजट मद में आपके द्वारा आशानुरूप खर्चा बुक नहीं किया गया हैं एवं धौलपुर, ढूंगरपुर, करौली, जैसलमेर, उदयपुर, जालौर, सीकर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जयपुर-प्रथम, टोंक, भरतपुर, अलवर, दौसा, हनुमानगढ़, रावाईमाधोपुर एवं जयपुर-II द्वारा शुन्य व्यय सितम्बर माह तक की FMR में बुक किया गया हैं शेष जिलों द्वारा भी अत्यधिक कम खर्चा बुक किया गया हैं तथा दौसा, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर, ढूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर द्वारा अभी तक ओडीएफ हेतु एक्शन प्लान नहीं भिजवाया गया हैं जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा गंभीरता से लिया गया हैं।

साथ ही अजमेर जिले को वित्तीय वर्ष 2018-19 में कमिटेड बजट मद में ओडीएफ हेतु कोई भी बजट आंवटित किया गया था इसके उपरान्त भी आपके द्वारा इस मद में राशि रूपये 26.54 लाख बुक किया गया हैं जो कि नियोमानुसार सही नहीं है अतः आप इसे व्यक्तिशः ध्यान देकर सही करवाना सुनिश्चित करें।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त बजट मद में गाईड लाईन के अनुसार आंवटित बजट का उपयोग कर खर्चा बुक करवाना सुनिश्चित करें इसी के साथ प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रति माह की स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम से संबंधित प्रगति रिपोर्ट भी mail ID: kayakalp.raj@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- जिले वार माह सितम्बर तक किये गये व्यय का विवरण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक:- F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / 606

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- २७/११/१८

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ।

2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मेशन निदेशक एनएचएम राजस्थान ।

3. निदेशक, जनस्वास्थ्य/आरसीएच ।

4. निदेशक, वित्त ।

5. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
6. राज्य नोडल अधिकारी, क्वालिटी अशोरेन्स एवं कायाकल्प एनएचएम।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित को मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक अजमेर को भेजकर लेख हैं कि आपको उक्त मद में कोई भी बजट आवंटित नहीं किया गया था इसके उपरान्त भी आपके द्वारा इस मद में राशि रूपये 26.54 लाख बुक किया गया है। जो कि नियमानुसार सही नहीं है अतः आप इसे व्यक्तिशः ध्यान देकर सही करवाना सुनिश्चित करें।
10. आरसीएचओ अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर।
11. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर।
12. जिला लेखा प्रबन्धक अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर।
13. सलाहकार – आईटी सम्बन्धित को इमेल हेतु।

परियोजना निदेशक
एनएचएम

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन राजस्थान,

चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / ५१५

दिनांक - १०/७/१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोक, उदयपुर।

विषय:- कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम में ओडीएफ सीएचसी हेतु आवंटित बजट के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ:- क्रमांक:-F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / 506 दिनांक 25.06.2018

उपरोक्त विषयन्तर्गत सदभानुसार लेख है कि स्वच्छ रखरथ सर्वत्र हेतु 100 ओडीएफ ब्लॉक की 100 सोएचसी को प्रति सीएचसी 10 लाख का बजट आवंटित किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक रखारथ केन्द्रों का निर्माण राष्ट्रीय रखारथ कायाकल्प के मानकों तक पहुंचाना है।

उक्त बजट सलग्न गाइडलाइन में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार ही खर्च किया जाना है। यह गाइडलाइन राष्ट्रीय सामुदायिक रखारथ केन्द्रों को भिजाए कर उनसे एक्षण प्लान लिया जाना सुनिश्चित करे। एवं उक्त सभी एक्षण प्लान सकलित कर दिनांक 13 जुलाई 2018 तक mail ID: kayakalp.raj@gmail.com पर भिजाना सुनिश्चित करे। इसी के साथ प्रत्येक सामुदायिक रखारथ केन्द्र की प्रति माह जीवन्य रखारथ सर्वत्र कायाकल्प के उपयोग प्रयोगित रिपोर्ट भी mail ID: kayakalp.raj@gmail.com पर भिजाना सुनिश्चित करे।

सत्यम्

(नवीन जैन)
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पक एवं
भिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक:- F 50 (1) NHM / Kayakalp / 2018 / ५१५

दिनांक - १०/७/१८

मुख्य अधिकारी

१. निम्नी संघिय, शासन सचिव एवं भिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान।
२. निदेशक राजस्थानरथ / अमरसीएच।
३. एमएफ, वित्त।
४. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
५. राज्य नोडल अधिकारी, क्यालिटी अश्योरेन्स एवं कायाकल्प एनएचएम।
६. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
७. स्थानी निदेशक, समस्त संभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करे।
८. आरसीएचओ अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर।
९. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर।
१०. सत्साइकार - आईटी सम्बन्धित को ईमेल हेतु।

परियोजना निदेशक
एनएचएम

Swachh Swasth Sarvatra expenditure details till Oct'18 -- Budget head 13.2.5 (old budget head
B15.2.7.6)

Sr. No.	District Name	Block Name	No of Declared ODF	Sanction Budget	Expenditure till Oct'18	% utilization	ODF action plan received or
1	ALWAR	BANSUR	4	4000000	0.00	0.00	Y
2		MANDAWAR					
3		RAJGARH					
4		RENI					
5	BANSWARA	BAGIDORA	2	2000000	83,342.00	4.17	Y
6		TALWARA					
7	BARAN	ANTA	4	4000000	2,470,783	61.77	Y
8		ATRU					
9		CHHABRA					
10		KISHANGANJ					
11	BARMER	GUDHAMALANI	3	3000000	59,900.00	2%	
12		SAMDARI					
13		SINDHARI					
14	BHARATPUR	BAYANA	5	5000000	0.00	0.00	Y
15		DEEG					
16		KUMHER					
17		NADBAI					
18		RUPBAS					
19	BHILWARA	BIJOLIYA	5	5000000	0.00	0.00	Y
20		MANDALGARH					
21		RAIPUR					
22		Suwana					
23		SHAHPUURA					
24	BUNDI	HINDOLI	3	3000000	160,000	5.33	Y
25		KESHORAIPATAN					
26		NAINWA					
27	CHITTORGARH	BARI SADRI	7	7000000	402,038	5.74	Y
28		BEGUN					
29		BHADESAR					
30		BHOPALSAGAR					
31		KAPASAN					
32		NIMBAHERA					
33		RASHMI					
34	DAUSA	BANDIKUI	4	4000000	0.00	0.00	
35		LALSOT					
36		MAHWA					
37		SIKRAI					
38	DHOLPUR	BARI	2	2000000	250,000.00	12.50	Y
39		SAIPAU					
40	DUNGARPUR	BICHIWARA	2	2000000	0.00	0.00	
41		SARVODA					
42	GANGANAGAR	GHARSANA	3	3000000	537,607	17.9	Y
43		RAISINGHNAGAR					
44		SURATGARH					
45	HANUMANGA RH	NOHAR	2	2000000	0.00	0.00	Y
46		RAWATSAR					
47		BASSI					

50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59	JAISALMER	SAM	1	1000000	0.00	0.00	
60	JALOR	SANCHORE	1	1000000	0.00	0.00	
61		BHAWANIMANDI					
62		JHALRAPATAN					
63	JHALAWAR	KHANPUR	5	5000000	186,000	3.72	
64		Pirawa					
65		MANOHARTHANA					
66	KARAULI	NADAUTI	1	1000000	0.00	0.00	
67		SANGOD					
68	KOTA	SULTANPUR	2	2000000	230,000	11.50	Y
69		DIDWANA					
70		JAYAL					
71	NAGAUR	KUCHAMAN	6	6000000	395,000	6.58	Y
72		LADNU					
73		NAWA					
74		PARBATSAR					
75	PALI	KHARCHI(MAR.JUN)	1	1000000	0.00	0.00	Y
76		ARNOD					
77	PRATAPGARH	DHARIAWAD	3	3000000	694,754.00	23.16	Y
78		PEEPAL KHOONT					
79		DEOGARH					
80	RAJSAMAND	BHIM	4	4000000	337,587	8%	Y
81		KHAMNOR					
82		KUMBHALGARH					
83		BAMANWAS					
84		BONLI					
85	SAWAI MADHOPUR	CHOUTH KA BARWARA	6	6000000	0.00	0.00	Y
86		GANGAPUR CITY					
87		KHANDAR					
88		KUNDERA					
89	SIKAR	PATAN	2	2000000	0.00	0.00	Y
90		SRI MADHOPUR					
91	SIROHI	PINDWARA	2	2000000	35,000	1.75	
92		SHEOGANJ					
93		DEOLI					
94	TONK	MALPURA	4	4000000	0.00	0.00	
95		NEWAI					
96		PIPLU					
97		GOGUNDA					
98	UDAIPUR	KURABAD	4	4000000	0.00	0.00	
99		LASADIYA					
100		RISHEHDEO					
	Total		100	100000000	6,643,011	6.64	

Incentive amount of Rs. 10 Lakh may also be utilized for following activities:

1. Improving the aesthetic of the hospital building including painting, cladding of exterior and minor repair work
2. Improving housekeeping activities
3. Procurement of cleaning equipment and materials
4. Improving condition of toilets and use of housekeeping checklist
5. Construction of new toilets/urinals if required
6. Improving drainage/ sewage system of the facility.
7. Implementing uniform signage system, the facility
8. Printing and display of IEC material regarding sanitation & Hygiene.
9. Facility management activities such as pest and animal control, removal of junk material, landscaping, correction of water logging, improving illumination level and maintenance of open areas/ corridors.
10. Biomedical and General waste management activities including of procurement of additional equipment required waste management.
11. Equipment and material liquid infectious waste management
12. Waste disposal services
13. Maintenance / repair for furniture and fixtures
14. Installation of water storage/ water conservation system
15. Procuring materials for improving infection control practices such as hand rub, personal protective equipment, disinfectants etc.
16. Monitoring activities of cleaning, waste management and infection control practices
17. Instituting hospital infection surveillance activities
18. Training of staff on Hygiene, infection control & waste management
19. Improving support services, related to laundry, kitchen and security.

- 1. Activities will be one time grant, this amount should not be regular home of payment by existing staff.**
- 2. Major construction or purchases, purchasing of drugs etc.**
- 3. Purchase of any type of diagnostic, therapeutic & rehabilitation equipment, etc.**
- 4. Grant will not be used for any pending payments of contractual agencies under various programs /scheme.**

Records of expenses and Utilization Certificate are to be maintained separately.